र्ज है। जो ... राजस्थान ... ने यह प्रार्थना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या — 13/2026

उनवान

प्रार्थीगण

1.श्री कानसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह
2.श्रीमती पदमकंवर पत्नी श्री इन्द्रसिंह
3.श्री वनेसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह
जाति राजपूत निवासी आंटा (सियाणी) तहसील रामसर जिला बाडमेर।

विप्रार्थीगण

1.श्री गुलाबसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी आंटा तहसील रामसर जिला बाडमेर
2.श्री खेताराम पुत्र श्री आशाराम
3.कृष्णा बेनीवाल पुत्र श्री रूपसिंह,
4.प्रेक्षा बेनीवाल पुत्री श्री रूपसिंह विप्रार्थी संख्या 3,4 नाबालिग की कुदरती वलिया माता श्रीमती रूपा चौधरी पत्नी श्री रूपसिंह
5..श्रीमती रूपा चौधरी पत्नी श्री रूपसिंह
6.श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र तुलसाराम
7.श्रीमती हथुदेवी पत्नी तुलसाराम
8.श्री चरणसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह
9.श्री तेजाराम पुत्र श्री मालाराम
10.श्रीमती नेंनूदेवी पत्नी श्री मालाराम
11.श्री हडमताराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी नन्दोई नगर
12.श्री गुमना पुत्र भोमाराम
13.श्रीमती कसूम्बी पत्नी मालाराम
14.श्री जोगाराम पुत्र मालाराम
15.श्री तेजाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी गेनाणी कडवासरों की ढाणी
16.तहसीलदार रामसर।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

दिनांक :–**25.02.2026**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक **13.01.2026** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **नन्दोई नगर** पटवार मण्डल **सियाणी** , भूअनि सियाणी के खसरा संख्या **230/124** रकबा **6.2888** हेक्टयर,किस्म भूमि बा.दो. उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिहन नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 15 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **नन्दोई नगर** पटवार मण्डल **सियाणी** , भूअनि सियाणी के खसरा संख्या **230/124** रकबा **6.2888** हेक्टयर,किस्म भूमि बा.दो. भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/- रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.03.13 17:00:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रामसर

Scanned with OKEN Scanner

.ज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरें के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।
यह आदेश आज दिनांक **25.02.2026** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक : रीडर/2026/ 108-11 दिनांक : 25/2/2026

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/रामसर।
3. प्राथीर्नी कानसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह
4. विप्रार्थीगण गुलाबसिंह पुत्र राणसिंह वगेराह।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.03.13 17:00:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner